



स्वास्थ्य विभाग
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

Phone No. / Fax No. - 06476-224266
Website- www.dhs-madhepura.org
e-mail-dhsmadhepura@gmail.com
Address : Sadar Hospital Campus, Madhepura



19/12/15

पत्रांक- 816

प्रेषक,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी0 मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक- 21-12-2015

विषय :- कोटेशन के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा में गाड़ी रखने हेतु सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा के कार्यों के संपादन हेतु भाड़े की एक गाड़ी की आवश्यकता है, जिस हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा कार्यालय के द्वारा कोटेशन आमंत्रित की गई है।

अतः अनुरोध है कि कोटेशन के आमंत्रण हेतु सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

अनु0:- सूचना की प्रति।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक- 816, मधेपुरा, दिनांक- 21-12-2015

प्रतिलिपि :- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा सूचनार्थ एवं ब्यापक प्रचार -प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

19.12.15
सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

Tejendra
19/12/15

19.12.15
सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

Tejendra
19/12/15

ज्ञापांक-.....817, मधेपुरा, दिनांक-.....21-12-2015

-: सूचना :-

जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा के कार्यों के संपादन हेतु भाड़े की एक (बिलोरो/स्कॉरपियो/डाईकोर आदि) गाड़ी निम्नलिखित शर्तों पर रखने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. गाड़ी का निबंधन दिनांक-01.01.2014 के बाद का होना अनिवार्य है।
2. गाड़ी का निबंधन वाणिज्यिक (Commercial Registration) होना अनिवार्य है।
3. गाड़ी का Insurance अद्यतन होना चाहिए।
4. गाड़ी भाड़ा निबंधन मो0-25000/- (पच्चीस हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह (ड्राईवर एवं अन्य रख-रखाव सहित) के दर से देय होगा जिस हेतु निम्न कंडिका अनिवार्य है :-
(क) चालक वाहन मालिक का होगा जिसका चालक अनुज्ञप्ति वाणिज्यिक होना अनिवार्य है।
(ख) प्रतिमाह 1500/- (एक हजार पाँच सौ) किलोमीटर प्रतिमाह का ईंधन गाड़ी मालिक द्वारा देय होगा। इससे अधिक चलने पर ईंधन 10 कि0मी0/लीटर (ए0सी0 नहीं चलने पर) एवं 8 कि0मी0/लीटर (ए0सी0 चलने पर) के हिसाब से जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा कार्यालय के द्वारा आपूर्ति की जाएगी।

इच्छुक वाहन मालिक दिनांक-31.12.2015 तक जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा कार्यालय में अपना आवेदन समर्पित करें।

19/12/15
सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।
Tajendra
19/12/15